ऑन लाईन नं. GCMS 2024/119

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 34 / 2024

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री थावरचंद पुत्र श्री मालीराम — (विक्रेता व मालिक)—
   मै. मुस्कान भोजनालय, दुकान नं. 410–411, अग्रसैन चौक, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51
निर्णय दिनांक: 20.05.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन नमूना संग्रहण के दिवस कंमांक संख्या एफ 5(1) चिस्वा. / ग्रुप–3 / 2023 / 10018 दिनांक 15.12. 2023 के गजट में भाग 1 (ख) पर प्रकाशित हुआ है व वर्तमान में क्रमांक प.5 (01) चिस्या / ग्रुप 3 / ई / 2024 / 1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का नमूना दिवस को पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता० / खासुऔनि / संस्था / 2023 / 10077 दिनांक 20.12.2023 के अनुसार जिला श्री गंगानगर व वर्तमान में पत्र क्रमांक आयुक्ता / संस्था. / 2024 / 1211 दिनांक 08.07. 2024 किया गया है एवं संसोधित आदेश क्रमाक आयुक्ता / खासुऔनि / संस्था / 2024 / 1225 दिनांक 09.07.2024 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.04.2024 को समय 10:05 एएम बजे **श्री थावरचंद पुत्र श्री मालीराम (विक्रेता व मालिक), मैसर्स मुस्कान भोजनालय, दुकान न. 410–411, अग्रसेन चौक, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर** पर पहुँचे। मौके पर विक्रेता **श्री थावरचंद पुत्र श्री मालीराम (विक्रेता व मालिक)** को अपना परिचय दे कर संस्थान पर रखे **दही** के बारे में जानकारी चाही इस पर स्वंय को मालिक बताया व संस्थान में फीज के अन्दर भगोने में रखे लगभग 2 किलों **दही (गाय के दूध से निर्मित)** को आमजन में वेचान वास्ते वताया जिनमें मिलावट का शक होने पर विकेता से दही (गाय के दूध से निर्मित) नमूना जाँच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5ए भरकर देते हुऐ व्यक्त की मोके पर ही विकेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहन ने व आवेदक ने हस्ताक्षर किये। फार्म न 5ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया गया और आम जनता को विकय हेतु उपलब्ध दही (गाय के दूध से निर्मित) में से एकरूप कर 800 ग्राम विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा दही (गाय के दूध से निर्मित) का नगद भुगतान 64 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर है और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री थावरचंद पुत्र श्री मालीराम (विक्रेता व मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री थावरचंद पुत्र श्री मालीराम (विक्रेता लिक)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आ है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ दही (गाय के दूध से निर्मित) 800 ग्राम को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर 4 बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 16 बूंद डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2266** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–2266** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नगूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विकेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री थावरचंद पुत्र श्री मालीराम (विक्रेता व मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./492/Act/2024/492 Dated 03-05-2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2266 Substandard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री थावरचंद पुत्र श्री मालीराम (विक्रेता व मालिक) मै. मुस्कान भोजनालय, दुकान नं. 410–411, अग्रसैन चौक, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर का **दही(गाय के दूध से निर्मित)** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 05.08.2024 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब में कथन किया कि

1. परिवाद पत्र की चरण संख्या–1 के तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। परिवादी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या–2 के तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है। परिवादी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

3. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या–3 के सम्बन्ध में निवेदन है कि दिनांक 17.04.20[redacted] को अप्रार्थी के संस्थान से दही का सैम्पल लिया जाना स्वीकार है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त सैम्पल नियमानुसार नहीं लिया गया जिस कारण से अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रकरण नहीं बनता है।

4. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या–4 के तथ्यों के सम्बन्ध में निवेदन है कि अप्रार्थी के संस्थान से 800 ग्राम दही खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा क्रय किया जाना एवं उसका 64/– रूपये नगद भुगतान किया जाना स्वीकार है।

5. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या–5 के तथ्य असत्य, निराधार एवं कपोल कल्पित होने के कारण स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी के संस्थान से केवल मात्र दही का सैम्पल लिया गया था। उसके सामने किसी प्रकार का ना तो कोई फार्म भरा गया व ना ही अप्रार्थी के सामने किसी गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। यहां यह उल्लेख करना न्यायोचित होगा कि अप्रार्थी / अभियुक्त थावर चन्द व एक दो गवाहान के खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाली कागजात पर हस्ताक्षर करवाये गये थे। उक्त हस्ताक्षर अप्रार्थी थावर चन्द व गवाहान द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दबाव में आकर किये गये थे। मौका पर जो भी कार्यवाही की गई वह अप्रार्थी को ना तो पढ़कर सुनाई गई है व ना ही समझायी गई। अप्रार्थी/अभियुक्त 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है तथा वरिष्ठ नागरिक है जिसे सुनाई भी कम देता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौका पर क्या कार्यवाही की गई। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी/अभियुक्त को अवगत नहीं करवाया गया।

6. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या–6 के तथ्य असत्य, निराधार एवं कपोल कल्पित होने के कारण स्वीकार नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो दही का नमूना लिया गया उसकी कार्यवाही नियमानुसार नहीं की गई अर्थात नमूना लेते समय/भरते समय जो प्रक्रिया अपनाई गई वह सही नहीं थी। जब खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तो ऐसी स्थिति में सैम्पल का अमानक आना स्वभावी है।

7. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या–7 के तथ्य असत्य, निराधार एवं कपोल कल्पित होने के कारण स्वीकार नहीं है।

8. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या–8 के तथ्य असत्य, निराधार एवं कपोल कल्पित होने के कारण स्वीकार नहीं है। इस चरण का उत्तर विस्तृत रूप से उपर की चरणों में दिया जा चुका है।

9. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या 9 के तथ्य असत्य, निराधार एवं कपोल कल्पित होने के कारण स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी/अभियुक्त के संस्थान से जो दही का नमूना प्राप्त किया गया अगर वह सब स्टेण्डर्ड फूड होना पाया गया तो उसकी सूचना परिवादी/खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी/अभियुक्त को नहीं दी गई जिस कारण अप्रार्थी/अभियुक्त के अधिकारों का हनन हुआ है।

10. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या–10 के तथ्य कानूनी हैं, अतः उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

11. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या–11 के तथ्य कानूनी हैं, अतः उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

12. यह कि परिवाद पत्र की चरण संख्या–12 के तथ्य असत्य, निराधार एवं कपोल कल्पित होने के कारण स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी/अभियुक्त किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है व ना ही अप्रार्थी द्वारा एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन किया है। जब अप्रार्थी द्वारा किसी धारा का उल्लंघन नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में अप्रार्थी जुर्माना राशि अदा करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति नहीं है।

अतिरिक्त कथन

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

1. यह कि अधिनियम व नियमावली के प्रावधान स्वयं में पूर्ण संहिता है एवं उनकी आज्ञापक प्रावधान है। यदि पालना में कोई त्रुटि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की जाती है तो उस स्थिति में विश्लेषक की रिपोर्ट अमान्य हो जाती है।

2. यह कि अपने उपरोक्त कथनों को प्रभावित किये बिना ही प्रार्थी का निवेदन है कि मिल्कफेड में निर्धारित मानकता के विपरीत जो मानकता विश्लेषक के द्वारा दर्शायी जाती है वह अति सूक्ष्म दृष्टि की है जबकि अन्य मानक समस्त निर्धारित सीमा के अन्दर अथवा अधिक हैं।

3. यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अधिनियम व नियमावली की कोई पालना नहीं की गई क्योंकि सैम्पल लेने से पूर्व जिस पॉट/पात्र से दही का सैम्पल लिया गया, सैम्पल से पूर्व उसको री–प्रजेन्टेटिव रूप नहीं दिया गया और ना ही री–प्रजेन्टेटिव करके सैम्पल लिये जाने का कोई उल्लेख परिवाद पत्र में दिया। सामान्यतः दही में यदि कुछ दही पहले से ही निकला हुआ हो तो वहां दही में दूध से दही बनने के पश्चात दही का पानी अलग हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि उसी पात्र से सैम्पल लिया गया हो तो उसकी मानकता प्रभावित हो जाती है। यहां इस बात से भी स्पष्टता जाहिर होती है कि मिल्क सोलिड नोट फेड की निर्धारित न्यूनतम मानकता के विपरीत विश्लेषक के द्वारा काफी ज्यादा मात्रा दर्शायी गई है जिससे पुष्टि होती है कि गांय के दूध में कोई मिलावट नहीं थी।

4. यह कि उपरोक्त प्रकरण में जन विश्लेषक की रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा ना तो अप्रार्थी/अभियुक्त को प्रेषित की गई व ना ही इसकी सूचना अप्रार्थी/अभियुक्त को दी गई। इस सम्बन्ध में कोई अभिकथन परिवाद में अंकित नहीं किये गये हैं। यदि अप्रार्थी/अभियुक्त को नमूना सब स्टेण्डर्ड होने की सूचना खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिखित में दी जाती तो अप्रार्थी/अभियुक्त उक्त सैम्पल को केन्द्रीय प्रयोगशाला से आवश्यक रूप से विश्लेषण करवाता, इस प्रकार से अप्रार्थी अभियुक्त के विधिक अधिकारों का हनन होने के कारण उक्त परिवाद खारिज किये जाने योग्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टान्त 2012 (4) सीजे (क्रिमिनल) राज0 1916 चिरंजीलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में अभियुक्त को नमूने का पुनः परीक्षण करवाये जाने के अधिकार के सम्बन्ध में उक्त निर्णय पारित किया है।

अतः जवाब पेश करके निवेदन है कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद निरस्त फरमाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें। श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **दही(गाय के दूध से निर्मित)** का सैम्पल **K-2266** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक– L.S./492/Act/2024/492 Dated 03-05-2024 **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लेपने की कार्यवाही जो कि मौका पर की गई वह नियमानुसार नहीं की गई है, जिस कारण से परिवाद में प्रस्तुत गवाहान की साक्ष्य में तलब किया जाना आवश्यक है, ताकि गवाहान से जिरह की जा सके। यदि गवाहान को तलब नहीं किया गया तो अप्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा तथा अप्रार्थी अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष सही वस्तुस्थिति नहीं आ पाएगी। परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद निरस्त फरमाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। अतः परिवाद में अंकित सूची गवाहान को तलब किया जाकर साक्ष्य करवाए जाए ताकि अप्रार्थी उन गवाहान से जिरह कर सके व माननीय न्यायालय के समक्ष सही तथ्य व वस्तु स्थिति आ सके।

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। [redacted] से लिया गया सैंपल स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक– L.S./492/Act/2024/492 Dated 03-05-2024 **Substandard Food** होना पाया गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सत्य कथनों और सही प्रकिया अपनाते हुए नियमानुसार नमूने का संग्रहण किया गया है। परिवाद में अंकित गवाहान को तलब किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने के कारण अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 24.01.2025 खारिज किया जाना न्यायसंगत है। अतः अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **Dahi(Made From Cow Milk)** bearing code No. K-2266 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Sub-Standard Food as** it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री थावरचंद पुत्र श्री मालीराम (विक्रेता व मालिक) मै. मुस्कान भोजनालय, दुकान नं. 410–411, अग्रसैन चौक, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त **श्री थावरचंद पुत्र श्री मालीराम (विक्रेता व मालिक) मै. मुस्कान भोजनालय, दुकान नं. 410–411, अग्रसैन चौक, श्रीगंगानगर** को **राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति0 जिला कलेक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर (राज.)